भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1843
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के तहत किलोमीटर में सड़कों का निर्माण

1843. श्री अरुण कुमार सागर:
श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:
श्री राजेश रंजन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत देश में इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक निर्मित सड़कों की लंबाई का किलोमीटर में बिहार सहित राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अब तक सड़कों के निर्माण और सुधार पर बिहार और बरेली के ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत, अनुदानित और व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्णिया जिले सहित बिहार के सभी जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित की जा रही सड़कों की गुणवत्ता बहुत खराब है;

(घ) क्या सरकार ने बरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के सुधार के लिए धनराशि आवंटित की है; और

(ङ) क्या कुछ राज्य उक्त योजना के अंतर्गत धनराशि का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों की लंबाई का राज्यवार (बिहार राज्य सहित) एवं वर्षवार ब्यौरा omms.nic.in -> Progress Monitoring -> Financial Yearwise Achievement पर देखा जा सकता है।

(ख) पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए निधियों का आवंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित है और यह अन्य बातों के साथ-साथ , राज्य में चल रहे कार्यों , निष्पादन क्षमता और पूर्व में जारी की गई अप्रयुक्त शेष राशि पर निर्भर करता है। राज्यवार (बिहार राज्य सहित) और वर्षवार जारी की गई निधियों के केंद्रीय अंश का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। व्यय का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा (राज्य अंश सहित) omms. nic.in -> Progress Monitoring -> Fund Position Report Live पर देखा जा सकता है।

निधियां (केंद्रीय अंश) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से जारी की जाती है और इसके अलावा, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिला/उप-जिला-वार निधि वितरण किया जाता है। मंत्रालय जारी की गई निधियों का जिला या क्षेत्रवार ब्यौरा नहीं रखता है। उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में किए गए व्यय का वर्षवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) पीएमजीएसवाई में गुणवत्तापूर्ण सड़क कार्यों के निर्माण और सड़क परिसंपत्तियों के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए तीन-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र है। प्रथम स्तर के अंतर्गत, कार्यक्रम कार्यान्वयन एककों (पीआईयू) से फील्ड प्रयोगशाला में सामग्री और श्रम कौशल पर अनिवार्य परीक्षणों के माध्यम से प्रक्रिया नियंत्रण सुनिश्चित करना अपेक्षित है। दूसरे स्तर में राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) के माध्यम से राज्य स्तर पर स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण के प्रारंभिक चरण, मध्यवर्ती चरण और अंतिम चरण में प्रत्येक कार्य का निरीक्षण किया जाता है। तीसरे स्तर, जो राष्ट्रीय स्तर पर है , के अंतर्गत गुणवत्ता की निगरानी करने और फील्ड पदाधिकारियों को वरिष्ठ पेशेवरों का मार्गदर्शन भी प्रदान करने के लिए चल रहे, निर्मित और रख-रखाव स्तर के सड़क कार्यों के औचक निरीक्षण हेतु स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं को तैनात किया जाता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी के आधार पर, जहां भी आवश्यक हो, राज्य सरकारों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। इसके बाद, राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को कार्यस्थल पर सत्यापित किया जाता है। राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) तब की गई कार्रवाई रिपोर्ट की जांच करता है और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की निगरानी ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा की जाती है।

(घ) जैसा कि ऊपर भाग (ख) के उत्तर में दिया गया है , बरेली जिले में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत किए गए व्यय का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त मांगों के आधार पर निधि जारी की जाती है, जो समय-समय पर बदलती रहती है तथा अन्य बातों के साथ-

साथ जमीनी स्तर पर व्यय की गति , पिछले वर्षों की उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि तथा कार्यक्रम दिशानिर्देशों में निर्धारित कुछ शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कभी-कभी प्रतिकूल मौसम की स्थिति , कच्चे माल की अनुपलब्धता, कानूनी मुद्दों, वन अनापत्ति संबंधी मुद्दों , कार्यों के आवंटन में देरी और कुछ मामलों में सुरक्षा मुद्दों के कारण अंतिम कार्य योजना के अनुसार कार्यकलापों को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है , जिसके परिणामस्वरूप आवंटन की तुलना में निधि का कम उपयोग होता है। सड़क निर्माण , चरणों में आगे बढ़ता है और सड़क निर्माण के चरण के अनुसार निर्मित लंबाई पर व्यय अलग-अलग होगा। मंत्रालय नियमित रूप से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विभिन्न समीक्षा बैठकों में अप्रयुक्त शेष राशि की स्थिति की समीक्षा करता है।

व्यय का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा (राज्य अंश सहित) omms. nic.in -> Progress Monitoring -> Fund Position Report Live पर देखा जा सकता है।

<u>अनुबंध-I</u>

लोक सभा में दिनाँक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या1843 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

<u>जारी की गई निधि में केन्द्रीय अंश का राज्यवार (बिहार राज्य सहित) एवं वर्षवार ब्यौरा</u>

क्र. सं.	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (03.03.2025 तक)
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	9.22	12.22	12.22	0.00
2	आंध्र प्रदेश	195.00	224.65	219.84	100.63	88.97	187.69	155.09	316.57	470.60	877.46	672.15	607.48	0.00	5.00	32.98	379.20	197.59	226.16	243.88	476.27	53.20	50.00	644.13	140.64	171.07
3	अरुणाचल प्रदेश	40.95	45.18	41.51	0.00	0.00	53.81	54.22	102.03	107.98	282.52	371.87	214.27	455.18	8.00	345.92	375.00	205.92	700.00	1350.00	1123.00	952.31	1090.60	1018.74	339.90	350.00
4	असम	75.00	80.00	75.39	171.09	164.52	156.82	431.05	555.00	982.12	1179.00	1900.67	1682.84	154.27	240.49	316.07	347.82	475.76	575.58	2542.76	2401.88	2516.62	1591.50	664.91	391.29	22.78
5	बिहार	149.90	1.01	0.00	151.51	29.58	234.29	570.50	733.06	1065.20	1750.73	3477.06	3374.25	1326.58	850.83	1548.16	2781.00	2958.34	1592.26	140.00	286.70	49.13	375.00	1443.23	963.37	899.66
6	छत्तीस	92.4	99.0	159.6	110.6	218.6	307.	708.	1050.	976.1	540.0	678.5	801.51	0.00	0.00	270.	498.0	449.8	508.6	664.3	1614.6	924.4	394.4	995.8	401.7	100.29

	गढ़	1	6	0	6	8	57	52	89	2	3	8				75	0	1	6	9	0	8	1	7	7	
7	गोवा	5.00	5.04	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	59.81	60.38	51.70	45.67	0.00	70.56	117.20	144.56	229.67	193.80	322.43	66.59	125.74	519.24	418.77	474.10	31.04	0.00	0.00	0.00	79.08	195.50	266.63	298.41	147.34
9	हरियाणा	25.18	30.29	44.75	9.00	28.60	20.56	200.43	216.21	272.02	255.49	157.75	60.00	0.00	0.00	218.96	304.70	44.01	0.00	13.20	16.03	0.00	353.23	168.25	74.01	0.38
10	हिमाचल प्रदेश	60.00	72.28	104.57	66.99	13.95	171.27	139.90	320.58	268.90	124.95	199.30	310.30	0.00	0.00	99.40	268.40	396.61	399.56	703.37	1284.89	745.24	517.45	624.76	617.56	325.50
11	जम्मू एवं कश्मीर	20.00	0.22	35.00	0.74	20.00	70.35	0.00	72.74	191.74	372.60	366.09	762.10	266.33	523.24	416.60	488.00	755.61	1400.00	590.77	695.50	1727.30	1328.34	717.00	1304.17	685.50
12	झारखंड	110.05	120.00	0.00	125.37	0.00	152.70	56.83	0.00	210.67	417.74	843.81	860.74	105.96	21.86	249.48	865.00	819.59	1381.70	757.32	214.41	293.50	0.00	332.63	752.80	498.62
13	कर्नाटक	100.57	108.37	97.74	60.84	0.00	143.02	45.73	271.49	640.46	764.87	927.68	0.00	24.60	5.00	237.00	140.80	331.95	5.00	47.19	534.24	49.29	704.25	720.47	72.25	50.00
14	केरल	19.71	27.87	11.43	11.12	10.39	42.41	15.00	24.68	84.02	100.11	146.27	200.00	1.50	1.50	151.41	151.00	179.45	169.13	105.88	48.64	89.97	0.00	106.76	54.25	122.27
15	मध्य प्रदेश	217.64	249.22	450.39	292.73	260.96	376.29	1165.27	1615.66	1895.10	2135.65	1966.12	1138.05	242.88	615.00	708.00	1122.00	1979.48	1308.45	1057.49	1308.97	1099.54	1392.25	1557.47	599.42	361.29
16	महाराष्ट्र	130.21	134.50	115.48	76.35	0.00	141.92	108.85	563.96	1030.00	949.18	1242.55	796.01	0.00	0.00	212.53	553.30	606.00	330.63	6.75	150.00	0.00	0.00	743.00	1110.80	463.93
17	मणिपुर	40.00	40.14	0.00	0.00	18.00	6.33	0.00	78.99	20.00	149.16	144.98	177.53	186.14	4.03	100.00	299.80	412.19	231.50	293.63	263.85	420.66	742.00	744.98	161.29	2.81

18	मेघालय	34.95	45.83	35.00	0.38	0.00	7.50	0.00	0.00	35.95	0.00	64.55	38.00	50.00	0.00	62.56	150.70	211.99	50.04	196.42	357.00	355.29	483.92	405.89	122.59	122.19
19	मिजोरम	19.93	26.66	50.88	21.21	47.85	60.99	27.00	21.96	65.00	44.58	95.59	93.63	71.82	0.00	54.74	50.90	93.36	200.00	51.32	576.06	1.59	74.34	584.20	141.37	87.50
20	नागालैण्ड	19.75	25.65	22.23	21.87	18.00	56.03	0.00	12.51	85.71	65.02	25.13	11.00	194.88	0.00	58.99	4.00	8.05	8.80	149.63	88.89	72.89	145.31	183.15	161.29	2.25
21	ओडिशा	179.70	175.00	170.43	175.85	178.75	305.29	641.78	546.83	1251.38	1594.35	2477.36	1969.95	87.25	758.92	1051.50	1382.70	1925.67	2249.99	2535.18	798.11	774.29	404.12	1235.88	1262.55	479.89
22	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66	24.72	0.27	0.00
23	पंजाब	24.66	55.26	20.39	28.25	0.00	48.90	80.63	360.21	243.42	348.42	196.43	164.61	169.66	117.68	310.21	221.10	275.66	339.15	0.00	0.00	0.00	68.59	231.06	265.10	319.87
24	राजस्थान	140.09	150.00	242.61	191.03	653.94	434.82	1154.06	1646.64	1771.32	603.41	886.22	667.76	151.90	427.06	425.66	559.90	559.41	1120.26	150.05	184.74	237.15	917.51	199.90	404.79	361.94
25	सिक्किम	13.16	20.07	17.81	20.22	0.00	41.20	36.85	174.51	55.00	71.80	79.38	80.00	193.62	1.97	94.59	68.60	138.16	337.00	199.40	4.39	195.50	107.28	263.33	94.37	70.00
26	तमिलनाडु	99.25	88.57	80.32	86.97	79.78	58.95	20.00	71.03	88.68	525.00	469.54	160.00	77.72	343.48	239.65	205.00	309.58	636.39	619.14	308.46	265.38	440.00	613.70	411.36	199.66
27	त्रिपुरा	24.75	26.91	25.00	0.23	0.00	21.76	74.50	143.00	379.99	168.49	285.76	229.79	338.59	98.83	187.36	274.83	392.27	135.38	73.31	10.64	69.57	73.88	267.59	185.03	26.13
28	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	273.73	146.03	242.87	112.77	267.38	0.00	86.38	321.43	296.9625	14.66
29	उत्तर	321.11	350.01	240.54	338.11	328.76	644.69	325.19	1228.40	1675.78	2844.51	1308.83	213.77	10.00	511.93	638.70	1110.35	1234.87	910.30	370.17	78.07	123.90	1418.55	2068.57	2679.63	1468.66

	प्रदेश																									
30	उत्तराखंड	60.63	70.20	0.00	71.10	0.00	14.29	12.79	78.74	116.66	165.95	240.26	300.32	151.24	0.00	314.92	409.20	550.20	702.21	988.23	554.90	1536.27	787.00	1297.16	551.05	521.75
31	पश्चिम बंगाल	135.00	149.65	159.52	136.30	275.90	355.58	123.69	549.69	635.48	375.00	819.68	828.90	3.08	306.17	1193.80	1427.58	819.18	1058.35	1426.98	348.25	969.31	49.94	381.03	99.275	115.00
32	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	140.79	109.97	37.50	73.31
कुल		**2414.41**	**2482.02**	**2472.13**	**2314.33**	**2436.63**	**4185.59**	**6265.08**	**10899.94**	**14848.97**	**16899.82**	**20366.04**	**15809.39**	**4388.91**	**5360.24**	**9959.58**	**15186.71**	**16507.78**	**16824.37**	**15389.23**	**13995.87**	**13651.46**	**13952.99**	**18948.61**	**14007.29**	**8064.23**

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनाँक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1843 के उत्तर के भाग (ख) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध

उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में किए गए व्यय का ब्यौरा (राज्य अंश सहित)

वित्तीय वर्ष	किया गया व्यय (राज्य अंश सहित) (रुपए करोड़ में
2000-01	8.19
2001-02	6.94
2002-03	0
2003-04	12.07
2004-05	4.26
2005-06	11.13
2006-07	30.25
2007-08	31.63
2008-09	0
2009-10	0
2010-11	7.40
2011-12	0
2012-13	39.52
2013-14	0
2014-15	0
2015-16	0
2016-17	41.12
2017-18	0
2018-19	6.57
2019-20	0
2020-21	80.36
2021-22	140.29
2022-23	0
2023-24	0
2024-25 (दिनांक 06.03.2025 तक)	0
कुल	**419.73**